न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारीः रामचन्द्र खटीक, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 03/2017

उनवान

शैलेश जोशी पिता स्व श्री मनसुखलाल जोशी जाति ब्राह्मण निवासी पांचवडा तहसील गढ़ी।

—: वादी

बनाम

(1) महेश जोशी पिता मनसुखलाल जोशी जाति ब्राह्मण निवासी पांचवाडा तहसील गढ़ी।
(2) मधुकान्ता पत्नि मनसुखलाल जोशी जाति ब्राह्मण निवासी पांचवाडा तहसील गढ़ी।
(3) मोहनलाल पिता मणिलाल जोशी जाति ब्राह्मण निवासी पांचवाडा तहसील गढ़ी।
(4) कान्तिलाल पिता मणिलाल जोशी जाति ब्राह्मण निवासी पांचवाडा तहसील गढ़ी।
(5) प्रकाश पिता मणिलाल जोशी जाति ब्राह्मण निवासी पांचवाडा तहसील गढ़ी।
(6) सुनिता पिता मणिलाल जोशी जाति ब्राह्मण निवासी पांचवाडा तहसील गढ़ी।
(7) गणेशलाल पिता मणिलाल जोशी जाति ब्राह्मण निवासी पांचवाडा तहसील गढ़ी।
(8) तहसीलदार गढ़ी जिला बॉसवाड़ा।

—: प्रतिवादीग

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः 22/8/20

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकारी है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य कृषि भूमि खाता संख्या 63 (नया) 53 (पुराना) के सर्वे नम्बर 297 रकबा 0.03 हे0, सर्वे नम्बर 8 रकबा 0.07 हे0, सर्वे नम्बर 809 रकबा 0.08 हे0 सर्वे नम्बर 810 रकबा 0.13 हे0, सर्वे नम 999/2484 रकबा 0.01 हे0 सर्वे नम्बर 1161 रकबा 0.08 हे0, सर्वे नम्बर 1162 रकबा 001 सर्वे नम्बर 1185 रकबा 0.08 हे0, सर्वे नम्बर 1232 रकबा 0.20 हे0, सर्वे नम्बर 1233 रकबा 0 हे0, सर्वे नम्बर 1262 रकबा 0.05 हे0, सर्वे नम्बर 1264 रकबा 0.07 हे0, सर्वे नम्बर 1265/24 रकबा 0.25 हे0 भूमि वाके ग्राम पांचवडा पटवार मण्डल पादेड़ी तहसील गढ़ी जिला बॉसवाड़ स्थित है। जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 के पिता व प्रतिवादी संख्या 2 के पति मनसुखलाल जो वादी का पिता के नाम दर्ज रेकार्ड थी जो कि विरासती नामान्तरकरण प्रतिवादी नम्बर 1 एवं 2 नाम से ही दर्ज रेकार्ड हो गई है तथा वादी का नाम दर्ज होने से शेष रह गया जबकि वादी मनसुखलाल का वारिस होकर पुत्र है। वादी के पिता स्व0 मनसुखलाल एवं प्रतिवादी संख्या पिता एवं 2 के पति एवं प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 7 तक संयुक्त रूप से खोतदार कृषक है वादी अपने स्व0 पिता की सम्पति में अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहा है। वादी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की वंशावली निम्नानुसार है :—

मनसुखलाल (फौत)

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण के नाम सम्मन जारी किये जाने पर प्रतिवादीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत कर वादी के वाद को स्वीकार किया गया। तत्पश्चात प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादीगण की वास्तविक वंशावली के क्रम मे तहसीलदार गढ़ी से रिपोर्ट ली जाने पर मुताबिक रिपोर्ट वादी को स्व0 श्री मनसुखलाल का पुत्र होना अवगत कराया गया।

प्रकरण में बकुलाय की बहस सुनी गई। बहस पर मनन् करने तथा वादी की ओर से प्रस्तुत वाद, संलग्न अभिलेख तथा प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं तहसीलदार गढ़ी की रिपोर्ट का संक्षिप्त अवलोकन करने पर पाया गया कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 स्व0 श्री मनसुखराम के पुत्र तथा प्रतिवादी संख्या 2 स्व0 श्री मनसुखराम की पत्नि है।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर पटवार हल्का पादेड़ी के मौजा पॉचवड़ा के खाता संख्या 63 (नया), 53 (पुराना) में महेश पिता मनसुखराम, मधुकान्ता पत्नि स्व0 मनसुखराम के साथ वादी श्री शैलेश को सह–खातेदार घोषित किया जाता है।

(रामचन्द्र खटी
उपखण्ड अधिक
गढ़ी

आदेश

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर पटवार हल्का पादेडी के पॉचवड़ा के खाता संख 63 (नया), 53 (पुराना) में महेश पिता मनसुखराम, मधुकान्ता पत्नि स्व0 मनसुखराम के साथ वा श्री शैलेश को सह–खातेदार घोषित किया जाकर इस आशय का डिक्री जारी की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 22/8/2019 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधि
गढ़ी